प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:

प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP 15), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आईची जैवविविधता लक्ष्य

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्य योजना, संरक्षित क्षेत्र और जैवविविधता संरक्षण, जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन

स्रोत: UNEP

चर्चा में क्यों?

UNEP-WCMC, IUCN और WCPA द्वारा जारी प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 में संरक्षित क्षेत्रों का पहला वैश्विक मूल्यांकन प्रदान किया गया है।

- **इसमें** कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) **के लक्ष्य 3 को** प्राप्त करने में हुई प्रगति एवं आगे आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF का लक्ष्य 3 क्या है?

- KM-GBF को **जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP 15)** में अपनाया गया था।
  - यह रूपरेखा वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले विश्व हेतु वैश्विक दृष्टिकोण तक पहुँचने के क्रम में एक महत्त्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करने पर केंद्रित है, जिसमें वर्ष 2050 के लिये 4 लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिये 23 लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।
- **लक्ष्य 3:** इसके तहत यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष **2030 तक कम से कम 30%** स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्र (विशेष रूप से जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण) प्रभावी रूप से **संरक्षित एवं प्रबंधित किये जाएँ**।
  - इसमें **स्वदेशी और पारंपरिक क्षेत्रों को मान्यता देना** और इन क्षेत्रों को व्यापक परिदृश्यों एवं समुद्री परिदृश्यों में एकीकृत करना शामिल है साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि स्थानीय लोगों एवं समुदायों के अधिकारों का सम्मान हो।

//

Targets (2030)

प्रमुख शब्दावली

- **संरक्षित क्षेत्र:** यह CBD द्वारा भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र है जिसे विशिष्ट संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नामित या विनियमित एवं प्रबंधित किया जाता है"।
    - IUCN, UNEP-WCMC के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्रों का वैश्विक डेटाबेस बनाए रखता है।
- **स्थानीय और पारंपरिक क्षेत्र:** CBD के अनुसार ये अद्वितीय जैवविविधता वाले क्षेत्र हैं जिनका स्वामित्व/प्रबंधन स्थानीय लोगों एवं समुदायों के पास होता है।

प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **वैश्विक कवरेज में प्रगति: 17.6% भूमि और अंतर्देशीय जल तथा 8.4% महासागर** एवं तटीय क्षेत्र संरक्षण के अंतर्गत शामिल हैं। हालाँकि इसमें प्रगति हुई है लेकिन वर्ष 2020 के बाद से वृद्धि न्यूनतम (दोनों क्षेत्रों में 0.5% से कम) बनी हुई है।
    - वर्ष 2030 तक 30% लक्ष्य को पूरा करने के लिये अतिरिक्त संरक्षण की आवश्यकता है: 12.4% अधिक भूमि को संरक्षित करने की आवश्यकता है तथा 21.6% अधिक महासागर को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
- **महासागर संरक्षण में प्रगति:** वर्ष 2020 के बाद से संरक्षण में सबसे अधिक प्रगति महासागर में हुई है लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा राष्ट्रीय जल क्षेत्र के तहत शामिल है।
    - **राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में कवरेज काफी कम है (समुद्री और तटीय संरक्षित क्षेत्रों द्वारा कवर किये गए कुल क्षेत्रफल का <11%)।**
- **प्रभावशीलता और प्रशासन से संबंधित चुनौतियाँ:** प्रबंधन प्रभावशीलता के तहत 5% से कम भूमि एवं 1.3% समुद्री क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। संरक्षित भूमि का केवल 8.5% भाग ही इसमें बेहतर रूप से शामिल है।
    - इसका प्रशासन एक चुनौती बना हुआ है, केवल **0.2% भूमि एवं 0.01% समुद्री क्षेत्रों का ही न्यायसंगत प्रबंधन** के लिये मूल्यांकन किया गया है।
- **जैवविविधता का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों में से केवल पाँचवाँ हिस्सा ही पूरी तरह संरक्षित है। जैवविविधता का संरक्षण असमान रूप से हुआ है।
    - यद्यपि दो तिहाई से अधिक [प्रमुख जैवविविधता क्षेत्र (KBAs)] आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संरक्षित एवं परिरक्षित क्षेत्रों द्वारा आच्छादित हैं, शेष **एक तिहाई (32%)** KBAs **पूरी तरह से इन क्षेत्रों से बाहर हैं तथा औपचारिक संरक्षण** से वंचित हैं।
- **स्थानीय लोगों की भूमिका:** स्थानीय समुदाय द्वारा 4% से भी कम संरक्षित क्षेत्र प्रशासित हैं, जबकि वैश्विक स्थलीय क्षेत्रों का 13.6% हिस्सा औपचारिक संरक्षण के बाहर है।
    - इन क्षेत्रों के लिये शासन संबंधी आंकड़ों का अभाव है तथा इनके योगदान को प्रायः पूरी तरह मान्यता नहीं दी जाती है।
- **मुख्य सिफारिशें:**
    - विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इसमें आशा बनी हुई है क्योंकि 51 देश पहले ही भूमि के 30% लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं तथा 31 देश समुद्र के संदर्भ में ऐसा कर चुके हैं।
        - रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि अब जब 6 वर्ष शेष हैं तो त्वरित प्रयासों, वैश्विक सहयोग एवं स्थानीय लोगों के समर्थन से 30% का लक्ष्य अभी भी प्राप्त किया जा सकता है।
    - इसमें डेटा की अपर्याप्त उपलब्धता एक दीर्घकालिक मुद्दा है (विशेषकर संरक्षित क्षेत्रों के सकारात्मक जैवविविधता परिणामों, **स्थानीय लोगों के लिये न्यायसंगत शासन एवं** महिलाओं, स्थानीय लोगों एवं समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने के संबंध में)।
        - **स्थानीय लोगों को** अपनी भूमि के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिये समर्थन दिया जाना चाहिये तथा उनकी मांग पर ध्यान देना चाहिये।
    - इन प्रयासों का बल न केवल संरक्षित क्षेत्र का कवरेज बढ़ाने पर होना चाहिये, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि ये क्षेत्र अच्छी तरह से संबंधित हों एवं रणनीतिक रूप से जैवविविधता हॉटस्पॉट में स्थित हों।

प्रमुख संस्थान

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN):** इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और यह एक वैश्विक सदस्यता संगठन है जिसमें सरकारी तथा नागरिक समाज संगठन शामिल हैं। यह प्राकृतिक विश्व की स्थिति और इसे बचाने के लिये आवश्यक उपायों पर आधिकारिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
    - **भारत वर्ष 1969 में IUCN का एक राज्य सदस्य बना,** यह वैश्विक स्तर पर प्रकृति संरक्षण के प्रयासों के लिये अमूल्य वैज्ञानिक ज्ञान, नीति मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान करता है।
- **UNEP-WCMC:** प्रकृति के सामने आने वाली समस्या को हल करने और एक सतत् भविष्य को आगे बढ़ाने के लिये, यह जैव विविधता में एक वैश्विक अग्रणी है, जो विज्ञान, नीति और व्यवहार को एकीकृत करता है। यह यूके चैरिटी WCMC और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के बीच साझेदारी के रूप में कार्य करता है।
- **संरक्षित क्षेत्रों पर IUCN विश्व आयोग (WCPA):** यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो वैज्ञानिक, तकनीकी और नीतिगत सलाह प्रदान करता है, तथा जैवविविधता को लाभ पहुँचाने वाले प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों का समर्थन करता है।

भारत की जैवविविधिता रणनीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?

- **NBSAP:** CBD भारत सहित सदस्य देशों को जैवविविधिता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिये एक राष्ट्रीय जैवविविधिता रणनीति एवं कार्य योजना (NBSAP) विकसित करने का अधिकार देता है।
    - भारत ने हाल ही में अपने NBSAP को KM-GBF के अनुरूप अद्यतन किया है तथा वर्ष 2030 तक अपने प्राकृतिक क्षेत्रों के कम से कम 30% को संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
        - मूल रूप से वर्ष 1999 में निर्धारित भारत की NBSAP को पहले वर्ष 2008 और वर्ष 2014 में आईची जैवविविधिता लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अद्यतन किया गया था, जिससे जैवविविधिता खतरों से निपटने के लिये भारत की निरंतर प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
- **भारत का अद्यतन NBSAP:** अद्यतन NBSAP का लक्ष्य KM-GBF के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप, स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों के 30% हिस्से की रक्षा करना है।
    - योजना में वनों और नदियों जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली पर ज़ोर दिया गया है, ताकि स्वच्छ जल एवं वायु जैसे संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे।

23 Biodiversity Targets of India

Reducing threats to biodiversity

Target 1: Biodiversity Inclusive Integrated Land / Sea Use Planning

Target 2: Ecosystems Restoration

Target 3: Protect And Conserve Land And Sea Areas

Target 4: Management Of Species And Genetic Diversity

Target 5: Harvest, Trade, And Use Of Wild Species

Target 6: Invasive Alien Species

Target 7: Reduce Pollution Risks And Negative Impact

Target 8: Minimize The Impact Of Climate Change

Meeting people's needs through sustainable use and benefit-sharing

Target 9: Sustainable Use For Multiple Benefits

Target 10: Sustainable Management Of Agriculture, Aquaculture, Fisheries And Forestry

Target 11: Regulation Of Air, Water, Hazards And Extreme Events

Target 12: Increase Access To Green And Blues Spaces

Target 13: Access And Benefit Sharing

Tools and solutions for implementation and mainstreaming

Target 14: Mainstreaming Biodiversity

Target 15: Sustainable Production, Supply Chains And Disclosure Of Risks

Target 16: Eliminate Unsustainable Consumption

Target 17: Strengthen Biosafety Regulatory Capacity

Target 18: Repurpose Harmful Incentives

Target 19: Resource Mobilization

Target 20: Capacity Development, Technology And Scientific Cooperation

Target 21: Communication, Awareness, And Knowledge Management

Target 22: Equitable And Effective Participation In Decision Making

Target 23: Gender Equality In Decision Making And Implementation

[illegible]:

प्रश्न: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचे के संदर्भ में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

1. भारत में जैवविविधता प्रबंधन समितियाँ नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिये प्रमुख कुंजी हैं।
2. जैव विविधता प्रबंधन समितियों के, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिये संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित, पहुँच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिये, महत्त्वपूर्ण प्रकार्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न: 'भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2014)

(a) यह 'जैवविविधता पर अभिसमय' एवं 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढाँचा अभिसमय' के लिये वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है
(b) यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है
(c) यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अधीन एक अभिकरण है जो अल्पविकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है।
(d) (a) और (b) दोनों

उत्तर: (a)

प्रश्न. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? (2018)

(a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल
(b) UNEP सचिवालय
(c) UNFCCC सचिवालय
(d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न: भारत में जैवविविधता किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पतजात और प्राणिजात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है? (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/protected-planet-report-2024